[Shri R. Ramakrishnan]

it is my duty to say this as one in the panel of Vice-Chairmen. In future it will become very difficult for the Vice-Chairman to conduct this House if such controversial things as this one are admitted for Special Mention. Even yesterday or day before yesterday it happened. The Deputy Chairman told me that when a certain important thing takes place with regard to a party or some personages, he is allowing Special Mention. But if in every Special Mention there is going to be a refutation or a reply by the Minister, then it will become a new procedure which cannot be allowed. In the beginning I allowed Mr. Ghosh to refute her.

SHRI DIPEN GHOSH: Let me say one sentence.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Let him say one sentence after which the matter will be closed.

श्री रामानन्द यादव (बिहार) नहीं, नहीं।

SHRI P. N. SUKUL (Uttar Pradesh): I am on a point of order. My point of order is that on a Special Mention there cannot be any discussion. If you are going to allow a discussion, then it will be a new precedent.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): There must be some practical way out. As a measure of expediency I am allowing him to say one sentence.

SHRI HARISINH BHAGUBAVA MAHIDA (Gujarat): You will be creating a new precedent.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): It has happened in the past. It is not going to be a new precedent. In the past, when a certain controversy arose, the Chairman had allowed one or two sentences. Let him say just one sentence, nothing more.

श्री रामानन्द यादव : यह कभी भी नहीं हुआ। आपने किस आधार पर इन को एलाउ किया है ?

SHRI HARISINH BHAGUBAVA MAHIDA: If it is more than one sentence, then it should not be recorded.

SHRI DIPEN GHOSH: Are you conducting the House or the Vice-Chairman?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Each Member expresses his opinion. You may say one sentence.

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, it is a total lie. (*Interruptions*). It is a blatant lie. (*Interruptions*). It is a blatant lie. (*Interruption*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): You exhaust yourselves like this. (*Interuptions*).

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, it is a blatant lie in asmuch as she does not know that Shri Ranjan Bhattacharya had kicked a pregnant woman as a result of which the enraged villagers had assaulted him. (*Interuptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): All right. The one sentence you have completed. Now the Minister of State for Home Affairs, Mr. Laskar, to move his Bill.

THE ARMS (AMENDMENT) BILL 1981

..THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): Sir, I beg to move:

> "That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to leave being granted by the Lok Sabha to withdraw the Bill further to amend the Arms Act, 1959, which has passed by the Rajya Sabha on the 8th September, 1981 and laid on the Table of the Lok Sabha on 10th September 1981".

The questions was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): The Minister has moved the Motion. Now, Mr. Ram Naresh Khushawha.

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस आयुध (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने जो सोचा और समझा है, मंत्री जी जिस आधार पर इस विधेयक को वापस ले रहे हैं मैं उस से बिलकुल असहमत हूं। मंत्री जी ने यह कहा है कि आर्म्स ऐक्ट को और अधिक सख्त बनाने के लिये वह इस विधेयक को वापस लेना चाहते हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आर्म्स ऐक्ट में आमूल परिवर्तन की जरुरत हैं। जिस शान्ति और व्यवस्था के नाम पर आप इस विधेयक को वापस ले रहे हैं, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम लोग बच्चे थे तो गांवों में डकैती की घटनायें नहीं होती थीं। क्यों नहीं डकैती की घटनायें होती थीं, इस लिये कि जो हथियार डकैतों के पास रहते थे वही हथियार गांवों में रहते थे। डकैत भी लाठी, भाला और बरछा ले कर आते थे और गांवों में लोगों के पास भी लाठी, भाला और बरछा रहता था। जब डकैत गांवों में घुसते थे तो गांव वाले जम कर उन का मुकाबला करते थे और डकैत जीतते थे तो डकैती डालते थे और गांव वाले जीतते थे तो उन को खदेड़ देते थे या उन को मार कर बिछा देते थे या पकड़ लेते थे। लेकिन आज हालत क्या है ? आज हालत यह हैं कि डकैत राइफल ले कर आते हैं, स्टेन गन ले कर आते हैं, ब्रेन गन ले कर आते हैं और बम ले कर आते हैं और गांव में अगर थानेदार की बिरादरी के लोग नहीं हैं तो वहां सांप मारने के लिये एक भाला भी नहीं रहेगा। नतीजा क्या होगा। डकैत आते हैं और गांव के गांव लूट कर चले जाते हैं। क्या गांव के लोग नहरनी और ब्लेड से उन का मुकाबला करेंगे ? मैं आप से कहना चाहता हूं कि गांव के लोगों को जब तक आप हथियार नहीं देंगे किसी भी कीमत पर यह ला ऐंड आर्डर का मामला हल नहीं होगा। मेरा आप से नम्र निवेदन हैं और मैंने पत्र भी लिखा था प्रधान मंत्री जी को और जिस का जवाब आप ने दिया था कि मैं आप की इस बात से सहमत हूं कि कमजोर लोगों को अगर लाइसेंस भी दे दिया जाये तो वे उन को खरीदने की स्थिति में नहीं हैं और मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि अगर हमारी सरकार भी बन जाय तो भी कुछ नहीं होगा और आप की सरकार तो काफी दिनों से है, लेकिन कोई भी सरकार हो वह इन अवांछनीय तत्वों के पास होने वाले इन अवैध हथियारों को रोक नहीं सकती और आप क्या समझते हैं कि वैध हथियारों को ले कर सारे अपराध किये जाते है। वैध हथियारों को ले कर अपराध कम होते हैं, और अवैध हथियारों को ले कर अपराध ज्यादा होते हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांव के कमजोर वर्ग के लोगों को हथियार दीजिए और अगर आप उन को हथियार नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जो हथियार गांव का लोहार बना सकता है उस को फ्री कर दीजिए। कुछ नियंत्रण यां आप रखना चाहते हैं तो थाने में उ की रजिस्ट्री करवा लीजिए। कुछ लाइसें 10-5 आप फीस रखकर उन लोगों को दे दीजिए। जिस दिन आप ऐसा क देंगे, मैं दावा करता हूं कि देश में ल एण्ड आर्डर की स्थिति 6 महीने अन्दर ठीक हो जाएगी। कमजोर व पर होने वाले आक्रमण दुरुस्त हो जायें क्योंकि जब गुण्डा हथियार लेकर चोर पर चलता है तो वह यह मानकर चलत हैं कि मेरे पास ही हथियार हैं, बा निःशस्त्र हैं। अगर गुण्डे को यह प लग जाए कि दूसरे के पास भी हथिय

*[श्री रामनरेश कुशवाहा]

हैं तो जब वह हथियार लेकर चलेगा तो उसको यह भय भी रहेगा कि कहीं दूसरी ओर से मेरे ऊपर हमला न हो जाए । गांवों में जब डाकू डाका डालते हैं तो वह जिनके पास हथियार के लाइसेंस हैं उनके यहां डाका नहीं डालते। उनको वह या तो अपने साथ मिला लेते हैं या पता कर लेते हैं कि किस-किस के पास हथियार हैं । लेकिन अगर इस तरह के हथियार गांवों में अधिक तर लोगों के पास हो जाएंगे तो वह किस-किस को घेरेंगे, कहां-कहां भागकर जायेंगे। गांव के लोग उनको काबू में कर सकते हैं । तो आप गांव के लोगों को हथियार के लाइसेंस दे दें तो चोरी और डकैती की घटनाओं को गांव वाले भी रोक सकते हैं ।

श्रीमन्, आज क्या हो रहा है . . . (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामाकृष्णन्) : आपका समय अब खत्म हो गया, आप समाप्त कीजिए । आपने अपोज़ किया है । बस हो गया ।. . . (**व्यवधान**)

श्री राम नरेश कुशवाहा : एक मिनट बोलने दीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Hon. Members, now the hon. Prime Minister will make a statement on Sri Lanka.

STATEMENT BY PRIME MINISTER

Proposed visit of the Minister of External Affairs to Sri Lanka

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI): Sir, I want to make a very brief announcement. While our Foreign Minister was replying to the debate here I was on the telephone with the President of Sri Lanka. I suggested to him that our Foreign Minister might go himself and have a talk with him about the situation. I also, conveyed the agitation in the minds of our Members of Parliament and communicated the feelings and distres all over our country, specially in the south. I am glad the President has welcome our Foreign Minister's visit. Shri P. V. Narasimha will leave this evening. Since three may be a shortage of certain essential articles in the refugee camps, I also suggested that they may approach the International Red Cross, and that we ourselves would be willing to hep in any way through our own or other voluntary agencies. His reply was, let the Foreign Minister come and he would see for himself.

I thought I should let the House know since they are concerned about the situation. (*Interuptions*).

THE ARMS (AMENDMENT) BILL, 1981—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Mr. Laskar will now reply. (*Interruptions*).

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: Sir, I don't deny that the hon. Member has no right. . . (*Interruptions*)

श्री रामनरेश कुशवाहा : श्रीमन, एक मिनट बोलने दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री आर० रामाकृष्णन) : इस बिल में बहुत ज्यादा नहीं है बोलने के लिए । बहुत बड़ा आर्डिनेंस नहीं आया है । मेहरबानी करके बैठ जाइए।

SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: But this is not the occasion to bring in all this. When the new Bill come he will have enough time or opportunity to express his views. Exactly for that reason we are trying to have a comprehensive Bill, and then he can discuss all this. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI R. RAMAKRISHNAN): Now, the question is:

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that